



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 70 राँची, मंगलवार, 5 फाल्गुन, 1947 (श०)
24 फरवरी, 2026 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

आदेश

24 फरवरी, 2026

पत्रांक-9/आरोप-लातेहार-137/2023-438/(9)/रा०, --श्री कुमार सत्यम भारद्वाज, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, बालूमाथ, लातेहार सम्प्रति अंचल निरीक्षक, गोविन्दपुर धनबाद के विरुद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-990/रा०, दिनांक-03.07.2023 द्वारा आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत आरोप प्रतिवेदित किया गया है-

आरोप सं०-1 श्री कुमार सत्यम भारद्वाज अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो के पद पर दिनांक-05.08.2019 से दिनांक-15.06.2021 तक बालूमाथ अंचल कार्यालय में पदस्थापित थे। पदस्थापन के दौरान इनके द्वार मौजा बालू के सी०एस० मांग पंजी- II के पृष्ठ संख्या-105 में पूर्व के सी०एस० जमाबंदी रैयत धरम महतो पिता नकु महतो को घेरकर बढ़न महतो वगैरह पिता रघु महतो का नाम दर्ज किया गया है। जिसमें दर्ज करने का कोई आधार अंकित नहीं है। प्रथम दृष्टया अंचल निरीक्षक के द्वारा पंजी-II में छेड़छाड़ किया गया है। सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ करना सरकारी सेवा संहिता के विरुद्ध है। इस संबंध में अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 98/न्या० दिनांक 04.03.2022 के द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्री कुमार सत्यम भारद्वाज, अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो बालूमाथ के पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्वेच्छाचारी प्रलक्षित होता है।

आरोप सं0-2 मांग पंजी- II संबंधित हल्का के राजस्व उप निरीक्षक के प्रभार में रहता है। एक वरीय अंचल निरीक्षक/पदाधिकारी के द्वारा संबंधित राजस्व उप निरीक्षक के आवास में जाकर अपने से मांग पंजी- II को मांग कर ले जाना और कुछ दिनों बाद संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को वापस करना अंचल निरीक्षक के कार्यशैली एवं मांग पंजी- II का छेड़छाड़ करने की बात संदेह की घेरे में आता है। अंचल निरीक्षक को राजस्व उप निरीक्षक की उपस्थिति में मांग पंजी- II का जांच करना चाहिए था। अंचल निरीक्षक के द्वारा अपने अधिकार एवं कर्तव्य का अनुचित रूप से उपयोग किया गया है। इनका यह कृत्य सरकारी सेवा आचार नियमावली के प्रतिकूल है।

आरोप सं0-3 इनके द्वारा कार्यालय के निर्गत पंजी में भी छेड़छाड़ किया गया प्रतीत होता है इस तरह के कृत्य भू-विवादों का कारण बनता है। किसी एक पक्ष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निहित स्वार्थवश कार्य कारित किया गया प्रतीत होता है। सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 (1) (i) एवं (ii) के प्रावधानानुसार सरकारी सेवक से पूरी शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा की अपेक्षा की जाती है, जो श्री कुमार सत्यम् भारद्वाज के द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है।

2. उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प संख्या-3015, दिनांक-13.09.2024 द्वारा श्री भारद्वाज के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री कमल जॉन लकड़ा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के दिनांक-28.04.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन में उक्त आरोपों में से आरोप सं0-1 एवं 2 को प्रमाणित पाया गया। जांच प्रतिवेदन में पंजी- II में अपने लाभ के लिए छेड़-छाड़ की गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति को प्रतिवेदित किया गया है।

4. श्री भारद्वाज के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 में वर्णित शास्ति/दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-1318, दिनांक-16.05.2025 द्वारा श्री भारद्वाज से कारण-पृच्छा की मांग की गयी।

5. श्री भारद्वाज से प्राप्त कारण-पृच्छा की समीक्षा की गई। समर्पित कारण-पृच्छा में श्री भारद्वाज द्वारा कोई नया तथ्य अंकित नहीं किया गया, अपितु पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण को ही दोहराया गया। प्रस्तुत कागजात एवं दस्तावेजों के आलोक में यह स्पष्ट है कि “Mr. Satyam was engaged in manipulation and forging the Reg-II which is the serious matter as proven in the departmental proceeding. This act of forgery by Mr. Satyam Bhardwaj tantamount to betrayal of trust and killing the peace of mind of the Raiyat/tenant who was affected by such criminal act/mens rea. If he continue in service he can do the same thing again and many other raiyats may get affected badly.”

तदालोक में लोकहित में प्रमाणित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (ix) के तहत श्री भारद्वाज को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया।

6. झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-18 (6) के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध प्रस्तावित दण्ड नियम-14 (ix) के अनिवार्य सेवानिवृति अधिरोपित के संबंध में विभागीय पत्रांक-2725, दिनांक- 08.10.2025 के द्वारा कारण-पृच्छा की मांग की गई ।

7. श्री भारद्वाज द्वारा दिनांक-17.11.2025 को समर्पित कारण-पृच्छा की समीक्षा की गई जिसमें बचाव-बयान की पुनरावृत्ति की गई है एवं कोई अतिरिक्त साक्ष्य नहीं पाया गया ।

8. अतः सभी तथ्यों के समीक्षोपरांत श्री कुमार सत्यम भारद्वाज, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, बालूमाथ, लातेहार सम्प्रति अंचल निरीक्षक, गोविन्दपुर धनबाद को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (ix) के तहत अनिवार्य सेवानिवृति किया जाता है, जो आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावित होगा ।

9. श्री कुमार सत्यम भारद्वाज, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, बालूमाथ, लातेहार सम्प्रति अंचल निरीक्षक, गोविन्दपुर धनबाद के वार्धक्य सेवानिवृति को नियमानुसार अनुमान्य सेवानिवृति पावना यथा, उपदान, ग्रुप बीमा, सामान्य भविष्य निधि एवं अव्यवहृत उपार्जित अवकाश का लाभ यथावत देय होंगे ।

10. बिहार/झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-46(क) के आलोक में श्री कुमार सत्यम भारद्वाज, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, बालूमाथ, लातेहार सम्प्रति अंचल निरीक्षक, गोविन्दपुर धनबाद को दो तिहाई पेंशन स्वीकृत होगा, जो पूर्ण अशक्तता पेंशन और विशेष अतिरिक्त पेंशन, यदि कोई हो, जो अनिवार्य सेवानिवृति की तिथि को देय हो, से अधिक नहीं होगा ।

11. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

मंजू रानी स्वांसी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
